भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या - **830**
*सोमवार, **07** फरवरी, **2022/18** माघ, **1943** (शक)*

'सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 की एक समान प्रयोज्यता'

830. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि व्यय विभाग द्वारा डीओपीटी को दिनांक 14.12.2009 के नोट के माध्यम से सीसीएस संवर्ग के सहायक/पीए पदों हेतु 4,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण में अपनाई गई पद्धति के बारे में भेजे गए सुपष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त पद्धति सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए विशिष्ट उत्तर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नोट के बिंदु 2(सी) में उल्लिखित निर्धारण पद्धति में सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 के नियम 7 अथवा नियम 11 या किसी अन्य विशिष्ट नियम का उपयोग किया गया था और यदि हां, तो उसका विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 की धारा 2 विभिन्न सेवाओं में नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों हेतु समान रूप से प्रयोज्यता की अनुमति देती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त पद्धति सहायकों/पीए के अलावा अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होती; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सीसीएस (आरपी) नियमों की धारा 2 के उल्लंघन के क्या कारण है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग) : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संदर्भ प्राप्त होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के तहत संशोधित वेतन संरचना को लागू करने के दौरान इस विभाग ने दिनांक 14.12.2009 के यू.ओ. नोट संख्या 10.01.2009-आईसी के तहत सहायकों/वैयक्तिक सहायकों को इस विभाग के दिनांक 16.11.2009 के का.ज्ञा. सं. 01.01.2008-आईसी के आधार पर संशोधित वेतन संरचना के पीबी-2 में 4600 रु का ग्रेड वेतन प्रदान किए जाने के फलस्वरूप उनके वेतन निर्धारण के तरीकों/पद्धति के संबंध में कुछ बिंदुओं पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सुपष्टीकरण दिया है।

ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें 01.01.2006 तथा 31.08.2008 के बीच सहायक/वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था, उनका वेतन उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के अनुसार उनके पास (i) दिनांक 01.01.2006 को उनके द्वारा धारित निचले वेतनमान के संदर्भ में अथवा (ii) दिनांक 01.01.2006 के बाद हुई पदोन्नति की तिथि से अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प है; ऐसे मामलों में उनका वेतन उच्चतर वेतनमान के फिटमेंट तालिका के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, तथापि वे 01.01.2006 से विकल्प की तारीख तक बकाये राशि का हकदार नहीं होंगे।

(घ) से (च) : सीसीएस (आरपी) नियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग ए, भाग बी और भाग सी में उल्लिखित खंड-II, सीसीएस (आरपी) नियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग ए, भाग बी और भाग सी के उक्त खंड-II में उल्लिखित संशोधित वेतन संरचना में वेतन के निर्धारण में संबंधित श्रेणियों पर लागू होते हैं।

*****